


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

31/10/22

पत्रावली पेश हुई वकील उर्षी अनुपस्थित
ही न्यायालय से रक-रककर तीन
बार आवाजें लगवायी गई। लेकिन
वकील उर्षी उपस्थित नहीं हुए। इसके
बाद श्री बार-बार आवाजें लगवायी
गईं लेकिन वकील उर्षी या उर्षी ने
कोई भी न्यायालय में उपस्थित
नहीं हुए। अतः न्यायालय इस प्रा
पत्र को जिरफार रखना न्यायोचित
नहीं समझता है। अतः पत्रावली अदम
हाजरी अदम चेंबरी में खारिज की
जानी है। निम्न खुले न्यायालय में
सुनाया गया। पत्रावली बाद तण्मील
दाखिल दफ्तर है।


उपखण्ड अधिकारी

नैनवां (बून्दी)

